



मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

MPonline Limited
Joint venture between Govt of Madhya Pradesh and TCS



एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर नवीन दर पर नकल प्राप्त करें।

भू-अभिलेख, प्रतिलिपि हेतु लागू नवीन दरें।			(दरें रुपये में)
क्रं.	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ
1	खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
2	बी-1 की प्रतिलिपि	30.00	15.00
3	नक्शा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
4	खाताबार खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00

- ✓ भू-अभिलेख प्रतिलिपि हेतु नागरिक एमपीऑनलाइन कियोस्क से ऑनलाइन आवेदन करें।
- ✓ ऑनलाइन आवेदन करने के 30 मिनट में डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख की प्रतिलिपि एमपीऑनलाइन कियोस्क से प्राप्त करें।
- ✓ सेवा शुल्क का नगद भुगतान करने पर कियोस्क संचालक से कम्प्यूटराइज्ड रसीद अवश्य लें।
- ✓ ऑनलाइन रसीद में उल्लेखित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान न करें।
- ✓ यदि कियोस्क संचालक द्वारा ऑनलाइन रसीद में उल्लेखित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन कस्टमर केयर नं. 0755-6720200 पर शिकायत दर्ज करें। नागरिक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश